



नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि पडत पडी हुई है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बकाया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 500/11 निर्णय दिनांक 23.11.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आधापांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.म.नाला है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर निर्णय दिनांक 23.11.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अपील के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील खारिज होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पत्रावली संख्या 486/14 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 को यथावत स्वीकार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2014 को सुनाया जाकर लिखाया जाकर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



(ज.एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर  
जिला